प्र.सं. 24/2022 गोविन्दसिंह बजाय उदयसिंह व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30.01.2024 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आईडाणा में प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि कंआ स्थित है, जिसके आराजी नंबर 1705 रकबा 0.0300 हैक्टर हैं, जिसके आगे विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 1713 रकबा 0.1400 हैक्टर एवं विपक्षी संख्या 2 की आराजी नंबर 1714 रकबा 0.1100 हैक्टर तथा प्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी नंबर 1716 रकबा 0.1800 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजियात पर बने रास्ते से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आते जाते हैं। आराजी नंबर 1713 व 1714 के सटमा आराजी नंबर 1536 आम रास्ता है। विपक्षीगण ने आराजी नंबर 1713 व 1714 पर दीवार बनाकर प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया है, इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता 12 फिट चौडा है। अतः विपक्षीगण के खाते की आराजी नंबर 1713 व 1714 में से रास्ते की भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे तथा रास्ते के उपयोग उपभोग में रूकावट नहीं पैदा करने हेतु विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर राशि विपक्षीगण को अदा करने हेतु स्वतंत्र हैं।<br><br>अधिनस्थ ने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनकर दिनांक 09.11.2022 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29.11.2022 को प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री महिपाल सिंह उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट 13 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि मौके पर आराजी नंबर 1723 पर फाटक लगा हुआ है जहां से होकर आराजी नंबर 1717 होकर सीधे आराजी नंबर 1705 में रास्ता [illegible] मौके पर चालू हैं तथा दूसरा रास्ता भी आराजी नंबर 1734 [illegible] 1733, 1732, 1731, 1720, 1719 व 1718 पर से होकर आराजी नंबर 1705 पर पहुंचता है। दोनों [illegible] सभी खातेदार आ जा रहे हैं, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पहले रास्ता होने के बावजूद अपीलान्ट/विपक्षी की आराजी में से रास्ता दे दिया, जो उचित | |

सत्यमेव जयते
उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:09 IST
Reason: SelfAttested

उप-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

नहीं है। अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 2 की आराजी नंबर 1714 का रकबा काफी कम है अगर इसमें से रास्ता दे दिया गया तो जमीन का उपयोग–उपभोग ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में RRT 2017 (1) Page 423, RRT 2016(1) Page 649, RRT 2021 (2) Page 286, RRT 2019 (2) Page 1543, RRT 2016 (2) Page 1281 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये रास्ते के आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की आराजी में से रास्ता दिये जाने का आदेश दिया है, किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनायी गयी है तथा अपीलान्ट का कथन है कि पूर्व से ही मौके पर आराजी नंबर 1723 से होकर आराजी नंबर 1717 से होकर सीधे आराजी नंबर 1705 में रास्ता जाता है, जो मौके पर चालू हैं तथा दूसरा रास्ता भी आराजी नंबर 1734 से होकर 1733, 1732, 1731, 1720, 1719 व 1718 पर से होकर आराजी नंबर 1705 पर पहुंचता है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके अनुसार मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर नया रास्ता नहीं दिया जा सकता। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.11.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में रास्ते बाबत् पुनः रिपोर्ट तलब कर पूर्व में आराजी नंबर 1705 पर पहूंचने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं इसकी जांच कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.04.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 16:25:09 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर